Form No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

न्यायालय- अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज.)

दीवानी वाद संख्या 13/2017, रामस्वरूप बनाम पप्पूलाल वगैरह

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सिविल प्रक्रिया संहिता

Date	Order with intials of Presiding Officer	Brief note of Compliance of the Order
06.03.2026	अधिवक्तागण पक्षकारान उपस्थित। जवाब पेश करना नहीं चाहता। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सिविल प्रक्रिया संहिता सुनी गई। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद में दस्तावेज इकरानामा बहक वादी रामस्वरूप दिनांक 04.03.13 व मुख्तारनामा आम पेश नहीं हो सका है। उक्त दस्तावेज इसी प्रकरण से संबंधित फैाजदारी प्रकरण में पुलिस द्वारा जब्त किया गया है जो सरकार बनाम पप्पूलाल को आगामी पेशी 13.07.2026 न्यायालय ए.सी.जे.एम. रामगंजमंडी की पत्रावली में संलग्न होने से उसकी Reliance दावे के समय पेश नहीं हो सकी है। उक्त दस्तावेज की प्रति पेश की जा रही है तथा उक्त दस्तावेज जानबूझकर देरी करने के आशय से पेश नहीं की गई थी अतः न्याय हित में उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अत्यन्त देरी से पेश किया गया है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस प्रार्थी वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों को दोहराया जबकि अप्रार्थी प्रतिवादी की ओर से बहस में विरोध करते हुये प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। पक्षकारान के तर्कों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी रामस्वरूप ने एक इकरारनामा दिनांक 04.03.2013 व मुख्तारनामा आम बाबत मुख्तारआम नरेश कुमार नामा व एक अन्य मुखतारनामा बाबत मुख्तार आम संजय कुमार को पेश कर प्रकरण में लिये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में इकरारनामा दिनांक 04.05.2013 की फोटोकॉपी संलग्न है जो कि पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है तथा मुख्तारनामा आम बाबत मुख्तारनामा नरेश कुमार की फोटोकॉपी भी संलग्न है जो पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है, अतः उक्त दोनों दस्तावेजात बाबत पहले सत्यापित प्रतिलिपि पेश की कई है। उक्त सत्यापित प्रतिलिपि पूर्व में भी प्रस्तुत की जा सकती थी परन्तु यह स्पष्ट है कि पूर्व में फोटोप्रति पत्रावली में प्रस्तुत है, अतः विपक्षी पक्षकार को	

अपर जिला न्यायाधीश
रामगंजमण्डी जिला कोटा

Form No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

न्यायालय- अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज.)

दीवानी वाद संख्या 13/2017, रामस्वरूप बनाम पप्पूलाल वगैरह

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सिविल प्रक्रिया संहिता

कोई हानि होना दृष्टिगत नहीं होता है, प्रमाणित दस्तावेज पेश करने में हुई देरी बाबत कॉस्ट लगाया जाना उचित है, अतः पूर्व में फोटोप्रति प्रस्तुत होने से इकरारनामा दिनांक 04.05.2013 व मुखतारनामा आम, मुखतार आम नरेश कुमार नामा 200-200 रूपये कुल 400/-रूपये कॉस्ट पर रिकार्ड पर लिया जाता है। उक्त कॉस्ट विपक्षी पक्षकार को अदा होने पर ही उक्त दोनों दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये गये होना माना जावेगा।

जहाँ तक मुखतारनामा आम बाबत आम मुखतार संजय कुमार का प्रश्न है तो उक्त मुखतारनामा की नकल पूर्व में प्रस्तुत नहीं की गई है तथा पूर्व में पेश नहीं करने बाबत प्रार्थी रामस्वरूप ने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि पुलिस द्वारा जब्त किये जाने के कारण प्रस्तुत नहीं की जा सकी तो यह स्पष्ट है कि यदि पुलिस द्वारा भी जब्त की गई थी तो नियमानुसार उक्त संदर्भ में सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त कर पेश की जा सकती थी अथवा न्यायालय की मदद से तलब करवाई जा सकती थी। फौजदारी प्रकरण में कब जब्त किया गया ऐसा भी कोई उल्लेख वादी के प्रार्थना पत्र में नहीं है। अतः पूर्व में उक्त मुखतारनामा आम, बाबत मुखतारनामा आम संजय कुमार का दस्तावेज पेश नहीं होने बाबत कोई संतोष जनक स्पष्टीकरण प्रार्थी रामस्वरूप ने अपने प्रार्थना पत्र में नहीं दिया है अतः उक्त मुखरानामा आम बाबत आम मुखतार संजय कुमार दिनांक 11.06.2014 बाबत प्रार्थी वादी रामस्वरूप का निवेदन रिकार्ड पर लिये जाने बाबत अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते जवाब प्रा०पत्र O7R11 CPC व 151 CPC हेतु दिनांक 13/3/26 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
रामगंजमण्डी जिला कोटा